

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 7/5/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, रोसड़ा अन्तर्गत हसनपुर- बिथान पथ के प्रथम कि०मी० में Construction of H.L. Bridge का निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-777(अनु०) दिनांक 21.02.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|-----|--|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : पथ प्रमंडल, रोसड़ा अन्तर्गत हसनपुर- बिथान पथ के प्रथम कि०मी० में Construction of H.L. Bridge का निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : 01/SBD of 2016-17 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : ₹4,12,98,958.00 |
| 2.4 | संवेदक का नाम | Shri Rajesh Kumar. |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : 12.05.2016 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : 11.08.2017 |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | : 26.03.2018 |
| 2.8 | समयवृद्धि की मांग | : 26.03.2018 |

3. समयवृद्धि का कारण:-

- (i) अन्य संवेदक द्वारा विद्युत पोल शिफ्टिंग के कारण विलंब- विषयांकित कार्य के एकरारनामा के पश्चात दिनांक 12.05.2016 से कार्य प्रारंभ किया गया। Abutment स्थल पर LT Line तथा 33 KV DP Line के कारण कार्य की प्रगति बाधित था। दिनांक 09.09.2016 को अन्य संवेदक

श्री प्रभाकरण रंजन, समस्तीपुर द्वारा विद्युत कार्य हेतु विषयांकित कार्य में एकरारनामा संख्या-3F₂/2016-17 संपादित करने के बाद पोल शिफ्टिंग कार्य प्रारंभ किया गया। समर्पित Mearusement Book के अनुसार दिनांक 04.03.2017 को पोल शिफ्टिंग का कार्य समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त के कारण 296, दिनों का अनुरोध किया गया, जिसमें 148 दिनों की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।

- (ii) संशोधित तकनीकी स्वीकृति के कारण विलंब- कार्य की संशोधित तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पटना के पत्रांक-15अनु०, दिनांक 04.01.2018 से प्राप्त होने के कारण इससे संबंधित मदों की स्वीकृति के उपरांत कार्य संपादित किया गया।

उपरोक्त के आलोक में संवेदक द्वारा 145 दिनों का अनुरोध किया गया, जिसमें 34 दिनों की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।

- (iii) एकरारनामा के अतिरिक्त कार्य संपादन (Supplementary Agreement)- एकरारनामा से अतिरिक्त कार्य का पूरक एकरारनामा मूल कार्य के समाप्ति की तिथि-11.08.2017 के बाद, दिनांक 12.02.2018 को संपादित किया गया। उक्त कार्य दिनांक 26.03.2018 को समाप्त कर दिया गया। संवेदक द्वारा उपरोक्त के कारण 45 दिनों का अनुरोध किया गया जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 227 दिनों अर्थात् दिनांक 26.03.2018 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की गई है।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय :-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 26.03.2018 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


Handwritten signatures and initials in blue ink.


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :

- 5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-777(अनु०) दिनांक 21.02.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, रोसड़ा अन्तर्गत हसनपुर- बिथान पथ के प्रथम कि०मी० में **Construction of H.L. Bridge** का निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 (एकरारनामा सं०-01/SBD of 2016-17) हेतु दिनांक 26.03.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को **Price Escalation** का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो **Price Neutralization** हेतु विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** लागू होगा।
- 5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।



(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त- सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-
सह-आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विधि(स०वि०)-06-54/2019- 3564(E) पटना, दिनांक- 7/5/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रोसड़ा/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

